फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

शंकर बनाम राधामोहन

मा संख्या / वर्ष : 44 / 2019

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	गया है इसलिये वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र 35क पर सुनी जाने वास्ते आदेश दिनांक 27/11/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
27/11/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी व पेशकार न्यायालय की बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रा०पत्र 35 ए को स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
05/02/21	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रत्ननारायण गुर्जर ने एक प्रार्थना पत्र 152 CPC का पेश किया। पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र 152 CPC में अंकित किया कि निर्णय दिनांक 27/11/21 को ख०नं० 69 के स्थान पर ख०नं० 79 सहवन से लिख दिया गया। जबकि ख०नं० 69 अंकित किया जाना चाहिये। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

सरकार बनाम राधामोहन

मुकदमा संख्या / वर्ष : 54 / 2019

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		अतः प्रा०पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 27/11/2024 में ख०नं० 79 के स्थान पर ख०नं० 69 अंकित करने की कृपा करें। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 152 CPC का अवलोकन किया। पारित निर्णय पर विचार किया। पारित निर्णय में 79 लिखा गया है जो सहवन से लिखा गया है ख०नं० 79 के स्थान पर 69 पढ़ा जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली प्रार्थनानुसार फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद मीति दाखिल रिकार्ड हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
पीठासीन अधिकारी - श्री विश्वामित्र मीना R.A.S

(1) प्रार्थना पत्र सं० - 45/2019

(1) शंकर पुत्र छोटू जाति हरियाणा ब्राह्मण
निवासी - ग्राम नयावास तहसील जमवारामगढ़
जिला जयपुर (राजस्थान)

... प्रार्थी

बनाम

(1) राधामोहन पु० रामगोपाल
(2) विनोद पुत्र रामगोपाल
(3) सरजू पौत्र रामगोपाल
समस्त जातियान हरियाणा ब्राह्मण निवासियान
नयावास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर
(राजस्थान)

... अप्रार्थीगण

(4) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ़
जिला जयपुर (राजस्थान)

... अप्रार्थी सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251क राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक - 27/01/2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र

P.T.O. →

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

(2)

शंकर बनाम राधा मोहन व अन्य
प्रार्थना पत्र सं० 45/2019

का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी की सह खातेदारी भूमि ख०न० 65 रकबा 0.9700 हैक्टेयर पटवार हल्का जमवारामगढ ग्राम नयाबास जिला जयपुर राजस्थान में तहसील जमवारामगढ में स्थित है जो अप्रार्थीगण की भूमि ख०न०- 69 रकबा 0.9700 हैक्टेयर भी प्रार्थी की भूमि लगती ग्राम नयाबास में स्थित है। जो प्रार्थी की भूमि ख०न० 65 की उत्तर दिशा में है।

प्रार्थी की भूमि ख०न० 65 में आवागमन का रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि ख०न० 69 में से होकर है जो गैरमुमकिन रास्ता ख०न० 79 में से होते हुये ख०न० 69 की पूर्वी सीमा से होते हुये ख०न० 65 तक आता है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा मौके में लाल रंग से दर्शाया गया है जो 15 फुट चौडाई का रास्ता है।

प्रार्थी को अपनी भूमि ख०न० 65 में आने जाने हेतु एक मात्र रास्ता ख०न० 79 एवं 69 में से होकर ही आता है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है जिसका अर्से दराज से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं एवं (65 खसरा नम्बर) में आवागमन का यही एक मात्र रास्ता है जो प्रार्थी के लिये अति-आवश्यक है

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि ख०न० 65 में आने जाने हेतु 15 फुट चौडाई में भूमि ख०न० 69 में होकर जिसे संलग्न नक्शे मौके में लाल रंग से दर्शित किया है दिया जाकर रिकार्ड में रास्ता की भूमि पृथक से किया जाने के आदेश प्रदान करें।

P.T.O.

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Vis...
Meena
Date: 2021.02.17 17:...
Reason: SelfAttested

(3)

ओंकार बनाम राधामोहन व अन्य

प्रार्थना पत्र सं०- 44/2019

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगणों की जारी की गई। दिनांक 8/11/19 को अप्रार्थी नं 3 की ओर से वकालतनामा पेश किया। एवं दिनांक 29/11/2019 को अप्रार्थी सं० 1 ता 3 की ओर से एडवोकेट राकेश शर्मा ने वकालतनामा पेश किया तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी से रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगाई गई।

दिनांक 6/12/2019 को तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपने पत्रांक/RNT/19/353 दिनांक 06/12/2019 के द्वारा अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ख०नं० 65 के खातेदार वादी ओंकारलाल पुत्र छोटू जाति ब्राह्मण निवासी नयावास को अपने खेत 65 में जाने के लिये ख०नं० 69 की पूर्व सीमा के अलावा अन्य कोई नजदीक में रास्ता नहीं है जो ख०नं० 79 गैर मु० रास्ते से ख०नं० 65 की दूरी 16 मीटर है इसके अलावा ख०नं० 65 में जाने के लिये अन्य कोई रास्ता राजस्व रिकार्ड में नहीं है यह कि ख०नं० 68, 69 में न्यायालय मु०नं० 38/2019 दिनांक 12/4/19 के द्वारा स्थगन है

अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने दिनांक 25/02/2020 को अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि प्रार्थना पत्र के मद नं० 1 ता 5 को अस्वीकार किया है। ख०नं० 69 अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसके राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन नहीं है। ना ही उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता रहा है। यह कहना गलत है कि ख०नं० 69 की पूर्वी सीमा

P.T.O.

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vis[…]
Meena
Date: 2021.02.17 17:[…]
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र सं०-44/2019

शंकर बनाम राधामोहन व अन्य

से होते हुये ख०न० 65 तक रास्ता आता है। ख०न० 65 में आने जाने हेतु कभी भी ख०न० 69 में रास्ता नहीं रहा बल्कि ख०न० 82 में से होकर प्रार्थी का आना जाना रहा है। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अगर किसी खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता पहले से ही मौजूद है तो वह अपनी सुविधानुसार नया रास्ता लेने का हकदार नहीं है। जो प्रार्थी ने नजरी नक्शा पेश किया है वह गलत है बनावटी है। नजरे नक्शे के आधार पर प्रार्थी ख०न० 69 में से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है अतः प्रार्थना पत्र 251 ए R.T. Act को खारिज किया जावे।

दिनांक 25/01/2021 को अप्रार्थी गण के वकील अनुपस्थित रहे। व श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर ने मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र में आदेश दिनांक 18/01/2021 के द्वारा मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस प्रा०पत्र 251 क पर सुनी गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी सं० 1 ता 3 के जवाब का अवलोकन किया। तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पेश रिपोर्ट पर मनन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को भूमि में आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण की भूमि ख०न० 69 में सबसे नजदीक रास्ता है। इसलिये प्रार्थना

P.T.O.

(signature)

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

(5)

शंकर बनाम राधामोहन व अन्य

प्रार्थना पत्र सं० - 44/2019

पत्र में मु० न० 38/2019 में स्थगन तहसीलदार जमवारामगढ ने लगाया है। इस सम्बन्ध में मु०न०- 38/2019 उनवान सज्जुदेवी बनाम शंकरलाल व अन्य में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/4/19 के द्वारा वादी, प्रतिवादी को चालू रास्ते में आवागमन नहीं रोकेंगे के आदेश है जो स्थगन से प्रभावित नहीं हो इसलिये प्रार्थना पत्र 251 ए R.T. Act को स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाता है। एवं प्रार्थी को भूमि ख०न० 65 वाके ग्राम भयावास तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में आने जाने हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख०न० 79 में से 16 मीटर लम्बा व 12 फुट चौडाई का रास्ता दिये जाने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देश दिये जाते है कि रास्ता की भूमि 16 मीटर लम्बा X 12 फुट चौडाई उक्त ग्राम की डी०एल०सी के गणना कर उक्त रकबे की जितनी राशि बनती है उसका 2 गुना राशि वसूल कर अप्रार्थीगण को दिलाई जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर से काम हो बाद प्रति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

दिनांक 05/02/2021 - प्रा० पत्र 152 CPC का अवलोकन

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested

किया। पारित निर्णय पर विचार किया।
पारित निर्णय में 79 लिखा गया है जो
सहवन से लिखा गया है। ख०नं० 79 के
स्थान पर 69 पढ़ा जावे के आदेश दिये
जाते है। पत्रावली पूर्वानुसार फैसल शुमार
होकर नम्बर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2021.02.17 17:34:00 IST
Reason: SelfAttested